

OperationConviction के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 70,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Daily News

#BahraichPoliceInNews 112  
<https://linktr.ee/mediacellbahraich>

### रेप व पाक्सो में दोषसिद्ध को बीस वर्ष की सजा हुई

**अदालत से 60 हजार का मुआवजा की कोर्ट ने तय किया**

बहराइच, 27 अक्टूबर। अपर सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट 2005 के तहत मणि ने गैर यौवन के न्यायाधीश को 20 वर्ष की सशक्त कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट 2005 के तहत मणि ने गैर यौवन के न्यायाधीश को 20 वर्ष की सजा सुनाई है।

### दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

बहराइच। सुजौली के चहलवा गांव निवासी एक अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में 20 वर्ष के सशक्त कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 70 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

थाना सुजौली के एक गांव निवासी पिता 11 दिसंबर 2017 को तहरीर देकर चहलवा गांव निवासी श्याम सुंदर पर उसकी 17 वर्षीय बेटी को भगवा ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि ने दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)

**BAHRAICHPOLICE**  
 112 #BahraichPolice Social Media Cell #SPBahraich

**CONVICING THE CRIMINALS**

Meticulous Investigation & Prosecution

**बहराइच पुलिस**

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के दृष्टिगत बहराइच पुलिस द्वारा की जा रही गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 27.08.2024 को माननीय जिला एवं अपर सत्र न्यायालय/ विशेष पॉक्सो बहराइच द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दण्डित किया गया।

**विवरण निम्नवत है -**

पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु विनित्त एवं थाना सुजौली में पंजीकृत मु0अ0सं0 1587/2017 धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोप में अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र नन्द बिहारी नि0 विजय नगर दा0 चहलवा थाना सुजौली जनपद बहराइच को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**शंभू प्रताप सिंह**  
 विशेष लोक अभियोजक

**डा० बृजेश कुमार साहू**  
 जॉेंट मोहरीर

**शे0का० मोनु कुमार**  
 परोक्ष